रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 685] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 27, 2018/ आश्विन 5, 1940
No. 685] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 27, 2018/ASVINA 5, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2018

सा.का.नि. 931(अ)— केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए कतिपय प्रारूप नियम ,मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि. 709(अ), तारीख 24 जुलाई, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

अधिसूचना वाले उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 24 जुलाई, 2018 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:--

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (तेरहवां संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 125ड. में, उपनियम (4) के पश्चात् आने वाले परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु इस नियम की कोई बात अधिकतम दो दुधारू पशुओं को उनके बछड़ों के साथ स्थानीय परिवहन हेतु उपयोग में लाए जाने वाले प्रवर्ग एन यान या किसी कृषि ट्रैक्टर को लागू नहीं होंगे ।"।

[फा. सं. आरटी-11036/24/2014-एमवीएल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं0 सा0का0नि0 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका सा0का0नि0 871 (अ), तारीख 13.09.2018 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th September, 2018

G.S.R. 931 (E).— Whereas certain draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 709 (E), dated the 24th July, 2018 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the official Gazette containing the said notification were made available to the public;

Whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 24th July, 2018;

And whereas, no objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely: —

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Thirteenth amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in rule 125E, for the proviso occurring after sub-rule (4), the following proviso shall be substituted, namely: -

"Provided that nothing in this rule shall apply to a category N vehicle or an agricultural tractor and its trailer, used for local transport of maximum of two milch animals along with their calves.".

[F. No. RT-11036/24/2014-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended *vide* notification number G.S.R. 871(E), dated the 13.09.2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2018.09.28 19:52:17 +05'30'